कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

G2G

पत्रांक– 2543 /12–1 :देहरादून:दिनांक: 15 अप्रैल, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत तिलाड़ी से सेरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.02 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–**FP/UK/ROAD/46681/2020**)

सन्दर्भः–भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी0/यू0सी0पी0/06/79/2021/एफ0सी0/1913 दिनांक 31.03.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा वांछित सूचना हार्ड प्रति में इस कार्यालय के पत्रांक 1604/12–1 दिनांक 11–12–2024 *(प्रति संलग्न)* द्वारा पूर्व में भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। उक्त सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर दिनांक 11–04–2025 को अपलोड किया गया है, जिसके क्रम में वर्तमान में इस कार्यालय द्वारा आपको ऑनलाईन प्रेषित किया जा रहा है।

अतः उक्त सूचना पुनः संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि जा रही है कि प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक–यथोपरि।</u>

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड़ देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1604 /12–1 :देहरादूनः दिनांकः 11 दिसम्बर, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–पिथौरागढ़ के अन्तर्गत तिलाड़ी से सेरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.02 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(Online No. FP/UK/ROAD/46681/2020)

सन्दर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पंत्राक 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 79 / 2021 / एफ0सी0 / 1913, दिनांक–31.03.2023।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा के पत्रांक 1274 / 12–1(2) दिनांक 25–11–2024 द्वारा सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है।

अतः वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ द्वारा प्रेषित सूचना संलग्न कर इस अनुरोध के साथ आपको प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण उत्तराखण्ड़,
देहरादून।

संख्या– 1604 /12-1/ दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण उत्तराखण्ड़,
देहरादून।

कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड़ देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1604 /12–1 :देहरादून: दिनांक: 11 दिसम्बर, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– जनपद–पिथौरागढ़ के अन्तर्गत तिलाड़ी से सेरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.02 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(Online No. FP/UK/ROAD/46681/2020)

सन्दर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पंत्राक 8बी/यू0सी0पी0/06/79/2021/एफ0सी0/1913, दिनांक–31.03.2023।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा के पत्रांक 1274/12–1(2) दिनांक 25–11–2024 द्वारा सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ द्वारा प्रेषित सूचना संलग्न कर इस अनुरोध के साथ आपको प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवंधन) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,
(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या– 1604 /12-1/ दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोडा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण उत्तराखण्ड,
देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक -1274 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 25/11/ 2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :— जनपद— पिथौरागढ़ के राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत तिलाडी से सेरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.02 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। प्रस्ताव सं0— 46681/2020।

सन्दर्भ :— भारत सरकार की पत्र सं0 8बी0/यू0सी0पी0/06/79/2021/एफ0सी0/ दिनॉक 31.03.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत संदर्भित पत्र के कम मे भारत सरकार द्वारा जनपद— पिथौरागढ़ के राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत तिलाडी से सेरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.02 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0— 46681/2020 में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 2332/12—1 दिनांक 13.11.2024 द्वारा प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण आख्या वृत्त स्तर को प्रेषित किया गया है, जिसे मूल तीन प्रतियों मे आपको सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न— तीन प्रतियों में।

स0 अधि0 / प्र0 वि0 / पिथौरागढ़
आ0 आ0 मेर
प्रबन्धक / नो0 अधि0
30-11-2-24

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून
पत्र सं0 2134
पत्रावली 12-1
दिनांक 7-12-24

- प्रि. हाथी।

21 NOV 2024

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रॉकः– 2332 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 13, नवम्बर, 2024 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के राज्य योजना के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अंतर्गत तिलाड़ी से सेरा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.02 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 46681/2020)।

सन्दर्भः– भारत सरकार की पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/79/2021/एफ0सी0/1913 दिनांक 31.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के कम में प्रस्ताव को तिलाड़ी से दुबतड़ तक ही निर्मित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिस कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा निम्नवत आख्या प्रस्तुत की गयी है–

'यह मोटर मार्ग सानदेव चौबाटी मुवानी मोटर मार्ग के किमी0 11 से निकलने वाले चौबाटी–तिलाड़ी मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु किमी0 2 से प्रारम्भ होकर तिलाड़ी, दुबतड़, सेरा सुनाली आदि गांवों से होकर गुजरता है, जिनकी आबादी 414 है। उक्त मोटर मार्ग में दुबतड़, तिलाड़ी के अन्तर्गत छोटे तोक मार्ग से जुड़ रहे हैं। वर्तमान में तिलाड़ी एवं सेरा मोटर मार्ग से संयोजित है, परन्तु लखतीगांव, सेरासुनाली आदि ग्रामों को चौबाटी, मुवानी, डीडीहाट जाने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का अन्तिम बिन्दु सेरा सुनाली हरड़कटिया मोटर मार्ग पर जाकर मिलता है, जिसके समीप प्रख्यात अलाईमल मन्दिर स्थापित है। उक्त मन्दिर में दर्शन हेतु श्रृद्धालु वर्षभर आते रहते हैं। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से चौबाटी क्षेत्र एवं लखती गांव क्षेत्र के बीच की दूरी कम होने से स्थानीय जनता को लाभ एवं मन्दिर दर्शन हेतु श्रृद्धालुओं को भी कम दूरी तय करनी पड़ेगी।'

उक्त के अतिरिक्त प्रस्तावित स्थल का वन क्षेत्राधिकारी डीडीहाट एवं प्रस्तावक विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः– यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संयुक्त निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 02.09.2024 को प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 3436/12–1 दिनांक 09.01.2024 के क्रम में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में तिलाड़ी से सेरा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें लो0नि0वि0 डीडीहाट से कनिष्ठ अभियन्ता मौ0 आमिर सिद्दिकी, वन विभाग से वन दरोगा चौबाटी अनुभाग श्री प्रेम राम, वन बीट अधिकारी श्री रमेश राम उपस्थित रहे।

संयुक्त निरीक्षण में यह पाया गया कि ग्राम तिलाड़ी से पूर्व ग्राम हनिया, पूर्व निर्मित 2.00 किमी0 कच्चे मोटर मार्ग से जुड़ा है। ग्राम तिलाड़ी इस कच्चे मोटर मार्ग के किमी0 2 से प्रस्तावित तिलाड़ी सेरा मोटर मार्ग के किमी0 1.50 पर स्थित है। तिलाड़ी से आगे ग्राम दुबतड़ प्रस्तावित मोटर मार्ग के किमी0 3 पर स्थित है। ग्राम सेरा प्रस्तावित मोटर मार्ग के किमी0 6 पर स्थित है, जिससे आगे 1.00 किमी0 कच्चा मोटर मार्ग निर्मित है।

प्रस्तावित तिलाड़ी से सेरा मोटर मार्ग जो कि दुबतड़ को जोड़ते हुए निर्मित किया जाना है, के निर्माण से चौबाटी, तिलाड़ी, दुबतड़, स्याल्वे, गोबराड़ी, मुवानी, धुमरौली, तड़खेत आदि ग्रामों के ग्रामवासियों एवं पर्यटकों को अलाईमल मन्दिर तक जाने हेतु 12.00 किमी0 कम दूरी तय करनी पड़ेगी।

अतः प्रस्तावित तिलाड़ी सेरा मोटर मार्ग का निर्माण ग्रामीणों, श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की सुविधा हेतु जनहित में कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

वनबीट अधिकारी चौबाटी (डीडीहाट)	वन दरोगा चौबाटी अनुभाग (डीडीहाट)	कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0 डीडीहाट

मूल में प्र0 व0 अ0 महोदय को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

वन क्षेत्राधिकारी डीडीहाट	AE	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0 डीडीहाट

तिलाड़ी से सेरा मोटर मार्ग

230

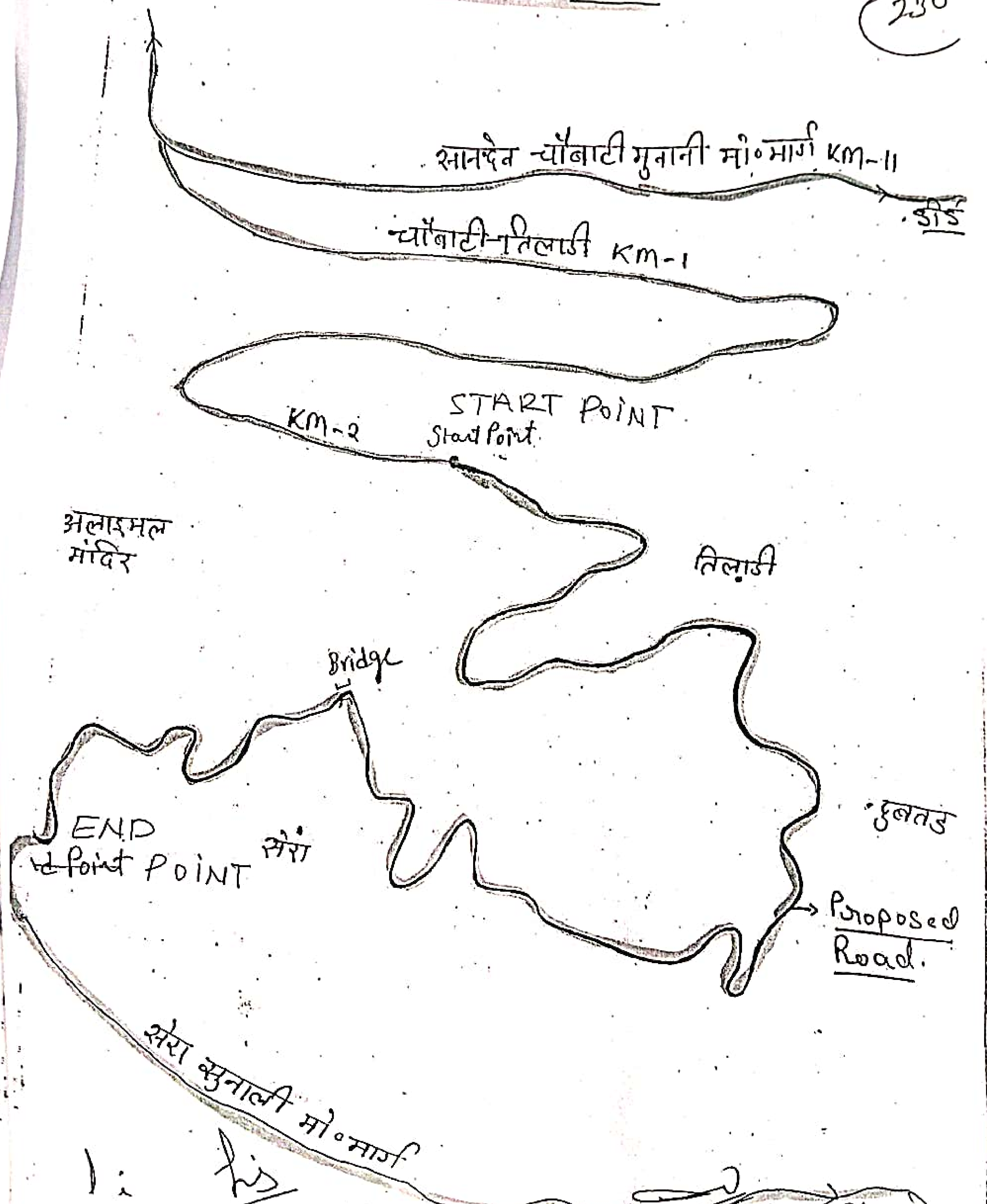

सहायक अभियन्ता

लोक निर्माण विभाग

डीडीहाट